"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 185] रायपुर, बुधवार, दिनांक 29 जुलाई 2009—श्रावण 7, शक 1931

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-6/2005/1/एक.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 2001 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त विनियम में, -

विनियम-4 "वेतन" की कंडिका-1 शब्द "लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष रुपये 26,000/- अथवा समय-समय पर राज्य शासन द्वारा इसके समतुल्य पुनरीक्षित वेतनमान प्राप्त करेगा और अन्य प्रत्येक सदस्य, प्रमुख सचिव को प्राप्त वेतनमान रुपये 22400-525-24500 अथवा इसके समतुल्य ऐसे वेतनमान में वेतन प्राप्त करेगा जो कि समय-समय पर मंजूर किया जाए, वेतनमानों का पुनरीक्षण होने पर नये वेतनमान में आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों के वेतन निर्धारण के लिए वही नियम/निर्देश लागू होंगे जो मुख्य सचिव/शासन के प्रमुख सचिव के लिए लागू किए जाएं" के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये :-

" छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष समय-समय पर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को स्वीकृत वेतनमान में वेतन एवं भत्ते प्राप्त करेगा और सदस्य छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सचिव को समय-समय पर स्वीकृत वेतनमान में वेतन एवं भत्ते प्राप्त करेगा. वेतनमानों का पुनरीक्षण होने पर नये वेतनमान में आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों के वेतन निर्धारण के लिये वही नियम निर्देश लागू होंगे, जो मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, के लिये लागू किये जायें. यह दिनांक 23 मई, 2001 से प्रभावशील माना जायेगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2009